सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 141/प्रा0पत्र/2023 दायरा दिनांक :–19.07.2023

GCMS ID–2023/290

उनवान

1. हर्षित आ0 नसिंह जाति बाबाजी निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।
2. खानालाल आ0 मोहनलाल जाति बाबाजी निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।
3. मनभर पत्नी स्व0 मोहनलाल जाति बाबजी निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत
वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा
वकील अप्रार्थीगण :– पेरोकार सरकार

आदेश

दिनांक : 30.05.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 2615 रकबा 0.4452 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर आने जाने हेतु प्रार्थीगण के पास कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण की भूमि के पूर्व में सिवायचक भूमि खसरा संख्या 6928/6822 स्थित है और खसरा संख्या 6928/6822 के बाद एन0एच0–52 की सडक है। प्रार्थीगण एन0एच0–52 की सडक से सिवायचक भूमि गैर मुमकिन बरडा खसरा 6928/6822 में होकर अपनी भूमि पर अस्थाई तौर पर पहुंचता है लेकिन खसरा संख्या 6928/6822 के राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है और उक्त सिवायचक भूमि पर कोई रास्ता दर्ज नहीं होने से आए दिन लोग 6928/6822 की भूमि पर कब्जा करने व भूमि पर निर्माण करने पर आमादा रहते है व प्रार्थीगण को उक्त सिवायचक भूमि पर होकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

निकलने में व्यवधान पैदा करते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 6928/6822 में एन0एच0–52 की सडक से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 2615 तक रास्ता घोषित करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण अपने भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है और न ही ठीक प्रकार से कृषि कार्य कर पा रहा है। प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने हेतु रास्ते की सख्त आवश्यकता है। रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि अधिकांश पडत रहती है क्योंकि भूमि के अडोस–पडोस के व्यक्ति उनकी खातेदारी भूमि में होकर प्रार्थीगण को नहीं निकलने देते हैं और रास्ता देने से भी इंकार करते है। इस कारण प्रार्थीगण सिवायचक भूमि खसरा संख्या 6928/6822 की भूमि में रास्ते की घोषणा करवाना चाहता है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 6928/6822 में चाहे गए रास्ते को नजरी नक्शें के रूप में दर्शाया गया है जो प्रशिष्ठ अ है जो प्रार्थना पत्र का भाग है। प्रार्थीगण ने एन0एच0–52 से प्रार्थीगण की भूमि तक खसरा संख्या 6928/6822 सिवायचक भूमि में 30 फिट चौडा रास्ता दर्ज करने व रास्ते के नक्शे में तरमीम करने का दिनांक 03.07.2023 को तहसीलदार हिण्डोली निवेदन किया लेकिन तहसीलदार हिण्डोली ने रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने से इंकार कर दिया तथा न्यायालय से रास्ते की घोषणा कराए बिना 6928/6822में रास्ता दर्ज करने/तरमीम करने से दिनांक 03.07.2023 को स्पष्ट मना कर दिया है यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण है। प्रार्थीगण खसरा संख्या 2615 वाके ग्राम हिण्डोली का खातेदार है और प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु रास्ते की सख्त आवश्यकता है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु एन0एच0–52 सडक से सिवायचक भूमि खसरा संख्या 6928/6822 में 30 फिट चौडा रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 2615 तक घोषित करवाने का प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण घोषित रास्ते की प्रतिकर राशि नियमानुसार राजकोष में जमा कराने को तैयार है। श्रीमान को राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 क के तहत रास्ते की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि खसरा संख्या 6928/6822 वाके ग्राम हिण्डोली में रास्ते की घोषणा चाही जाने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का सुनवाई का अधिकार है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। भूमि खसरा संख्या 6928/6822 गे0मु बरडा सिवायचक भूमि की स्वामी राज्य सरकार हाने से तहसीलदार हिण्डोली को पक्षकार बनाया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा संख्या

Email sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

2614/6086 सडक एन0एच0–52 से सिवायचक भूमि खसरा संख्या 6928/6822 वाके ग्राम हिण्डोली पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2615 तक 30 फिट चौडा रास्ता नजरी नक्शा प्रशिष्ठ अ के अनुरूप घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किया जाकर रास्ते की नक्शे में तरमीम करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सरकार की ओर से तहसीलदार हिण्डोली की ओर से पत्रांक :–राजस्व/24/2043 दिनांक :–29.07.2024 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 5953/2615 जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 6928/6822 जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है, में से होते हुए 30 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत निर्धारित प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 6928/6822 में से 30 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 800 के खसरा संख्या 6953/2615 वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली में आने–जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम हिण्डोली के राजकीय सिवायचक खसरा संख्या 6928/6822 (गै0मु0 बडी) में से कुल 30 फीट चौडे व 117 फीट लम्बे रास्ते में कुल 0.03262 हैक्टेयर भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि

Email-sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

7615865 / रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.03262 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 248430 / रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 496860 / रू को निर्धारित मद में प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करवाकर चालान प्रति न्यायालय में पेश करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 30.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446